-1-

179

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल,ग्वालियर खण्डपीठ जबलपुर

राजस्व निगरानी क्रमांक . /2013 R-428-I/13

वीरेन्द्र सिंह पटैल आत्मज स्व. श्री नन्हेसिंह पटैल
उम्र लगभग 55 वर्ष, धन्धा कृषि,
निवासी ग्राम धमना, तह. व जिला नरसिंहपुर ..... रिवीजनकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती जयाबाई पत्नी स्व.श्री सुरेन्द्र कुमार पटैल,
उम्र लगभग 40 वर्ष,
शैलेन्द्र कुमार आत्मज स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार पटैल,
उम्र लगभग 15 वर्ष, नाबालिग बली माँ श्रीमती जयबाई
दोनों निवासी ग्राम धमना, तहसील व जिला नरसिंहपुर
हाल मुकाम शांति नगर, तिदनी रोड, तहसील व जिला
नरसिंहपुर ..... उत्तरवादी/अनावेदिका

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 (4)(ग) म.प्र. भू राजस्व संहिता।

राजस्व प्रकरण क्र. 43/ 2011-12 में तहसील नरसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2012 से दुखित होकर रिवीजनकर्ता निम्नानुसार तथ्य व आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य

(1) यह कि, प्रत्यर्थी श्रीमती जयाबाई रिवीजनकर्ता के छोटे भाई स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र कुमार पटैल की पत्नी है । रिजीनकर्ता और उसके भाईयों के बीच विवादित भूमी के संबंध में आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है ।

(2) यह कि, रिवीजनकर्ता और उसके भाईयों की ग्राम धमना व ग्राम सुफला में कृषि भूमि स्थित है ।

(3) यह कि प्रत्यर्थी जयाबाई ने ग्राम धमना स्थित कृषि भूमी खसरा नं. 282, 283, 284, 285/1, 285/2, और खसरा नं. 286, 287 तथा खसरा नं. 338, 340, 368/2 के सीमांकन कराये जाने हेतु प्रत्यर्थी ने एक आवेदन ग्राम धमना के पटवारी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 428–एक/13 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–8–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह–निगरानी तहसीलदार, नरसिंहपुर 43/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनंक 14–5–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका जयाबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति पेश की गई जिसे तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर कहा गया कि सीमांकन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है जिस भूमि का सीमांकन चाहा गया है उसके संबंध में उभयपक्षों के मध्य एक व्यवहार वाद घोषणाऔर बटवारा हेतु विचाराधीन है ऐसी स्थिति में सीमाकन नहीं कराया जा सकता इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । उक्त आधार पर सीमांकन कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया है ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं ... आदि के हस्ताक्ष
	3/ प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता को सुनवाई दिनांक को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पश नहीं किये गये हैं । 4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका द्वारा अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया है जिस पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं । सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पूर्व आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं हुआ है और व्यवहार न्यायालयक में वाद प्रचलित है इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि जिसभूमि का सीमांकन अनावेदिका द्वारा कराया जा रहा है वह उसके भूमिस्वामी हक पर दर्ज है और उसे अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार प्राप्त है । उक्त आधार पर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई है । उनके इस आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम सीमांकन आदेश भी पारित किया जा चुका है, इस कारण यह निगरानी निरर्थक हो गई है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की	

पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 428–एक/13 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	